

## न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:—कानाराम, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या—85/2024 विविध (धारा 235 आरटीएक्ट)

1. रामू पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. रामगिर पुत्र देवगिर जाति गुसाईं निवासी पूरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

—प्रार्थीगण

### बनाम

1. संजय अग्रवाल, सहायक कलक्टर एवं उपखण्डधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. नेमाराम उर्फ नेमीचन्द पुत्र मोतीराम जाति नाई निवासी पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
3. हेतराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
4. हनुमान पुत्र मामराज जाति सुथार निवासी पूरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
5. बीरबल पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
6. मालाराम पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थीगण

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 11/2024 अनवानी प्रकरण नेमाराम बनाम रामू आदि।



उपस्थित 1. आशीष भिड़ासरा एडवोकेट प्रार्थीगण।

2. श्री देवीलाल भांभु एडवोकेट अप्रार्थी संख्या-2।

3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राज. अधिवक्ता स्टेट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:—10.07.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्डधिकारी, रावतसर में एक वाद अनवानी नेमीचन्द बनाम रामगिर आदि वाद संख्या 103/2018 अन्तर्गत धारा 88 विविध प्रार्थना पत्र नेमीचन्द बनाम रामगिर प्रार्थना पत्र संख्या 15/2018 अन्तर्गत धारा 212 आरटीए व विविध प्रार्थना पत्र नेमाराम बनाम रामू प्रकरण संख्या 12/2024 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किये उक्त प्रार्थना पत्रों में अप्रार्थी संख्या 2 नेमीचन्द ने रोही पुरबसर खसरा संख्या 309/3 की 3.7940 हैक्टर भूमि बाबत वाद में रथाई निषिधाज्ञा चाही व धारा 151 सीपीसी में वाद ग्रस्त भूमि की स्थिति वाद से पूर्व की बहाल करने हेतु अनुतोष चाहा। अप्रार्थी संख्या 2 नेमाराम उर्फ नेमीचन्द ने सहायक कलक्टर रावतसर द्वारा विविध प्रार्थना पत्र नेमीचन्द बनाम रामगिर अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रकरण संख्या 15/2018 में दिनांक 06.03.2018 को जारी अरथाई निषिधाज्ञा की अवहेलना करना बता कर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के विरुद्ध प्रकरण नेमाराम बनाम रामू प्रकरण संख्या 11/2024 दिनांक 22.03.2024 को प्रस्तुत की। सत्य प्रति अवहेलना प्रार्थना पत्र याचिका व फर्द अहकाम सलग्न प्रार्थना पत्र की। प्रकरण में प्रार्थीगण के अभिभाषक दिनांक 27.03.2024 को उपस्थित आकर वकालतनामा प्रस्तुत किया व प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.04.2023 मुकर्रर की व दिनांक 15.03.2023 से दिनांक 15.04.2024 को दिनांक 26.04.2024 को जबाव हेतु अन्तिम अवसर दिया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत अरथाई निषिधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.2018 से दिनांक 22.03.2024 तक 6 वर्ष से अधिक समय तलबी हेतु लम्बित रहा। अप्रार्थी संख्या 2 की कृषि भूमि की पूर्व की तरफ आबादी भूमि है प्रार्थीगण के आबादी में भूमि में आवासीय मकान है। अप्रार्थी संख्या 2 बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्तियों को साथ

जिला कलक्टर  
हनुमानगढ़

लेकर आया व प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 के आवासीय मकान को तोड़ने की धमकी देने लगा व न्यायालय द्वारा रथगन आदेश होने के कथन किये तब प्रार्थीगण ने न्यायालय में आकर वाद व प्रार्थना पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की एवं दिनांक 22.03.2024 को वाद व प्रार्थना पत्र में उपस्थित आकर जबाब हेतु अवसर चाहा जिस पर दिनांक 15.04.2024 आगामी तारीख पेशी मुकर्रर कर दी व दिनांक 15.04.2024 से दिनांक 22.04.2024 को जबाब हेतु अन्तिम अवसर दे दिया प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 26.04.2024 मुकर्रर है। नकल फर्द अहकाम दिनांक 06.03.2018 से दिनांक 22.04.2024 संलग्न प्रार्थना पत्र की। तारीख पेशी दिनांक 22.04.2024 को जब प्रार्थीगण तारीख पेशी पर आये हुये थे अप्रार्थी संख्या 2 कुछ व्यक्तियों के साथ न्यायालय परिसर के आगे ही बैठा था। तब उसने प्रार्थीगण को यह धमकी दी कि आप कुछ भी कर लो मैं आपका जबाब बन्द करवा कर वाद डिग्री करवाऊंगा व न्यायालय की अवहेलना में भी आपके विरुद्ध आदेश पारित करवाऊंगा एवं आपके आवासीय मकान तोडवाकर उस पर कब्जा करूंगा। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 से मेरी जान पहचान है व अप्रार्थी संख्या 1 मेरी बात हो गई है व अप्रार्थी संख्या 1 मेरे कहेअनुसार निर्णय करेगा। अप्रार्थी संख्या 2 बदमाश प्रवृत्ति व्यक्तियों को साथ लेकर खुम रहा है व प्रभावशाली व राजनैतिक व्यक्तियों से अप्रार्थी संख्या 1 पर दबाव बना रखा है वाद का गलत निरतारण करवाने पर उतारू है। प्रार्थना पत्र में 2-2 दिन की तारीख पेशी देकर वाद को निर्णित करने पर उतारू है। इसलिए प्रार्थी न्यायालय सहायक कलक्टर रावतसर में लम्बित मूल प्रार्थना पत्र नेगाराग बनाग रामू आदि प्रकरण संख्या 11/2024 को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना चाहता है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी रावतसर से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई।

अप्रार्थी संख्या-2 ने जरिये वकील जबाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र की धारा 1 ता 4 को मुताबिक दस्तावेज स्वीकार किया तथा धारा 5 ता 10 को अस्वीकार कर कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 नेमाराम अनपढ़ एवं गरीब व्यक्ति है जो मजदूरी एवं खेती करके अपने परिवार का गुजरबसर कर रहा है। प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप कतई निराधार है अप्रार्थी संख्या 2 का किसी बदमाश व्यक्ति या राजनेता से कोई सम्पर्क एवं सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण निराधार रूप से प्रार्थना पत्र पेश कर मामला लम्बा करने तथा अप्रार्थी संख्या 2 को न्याय से वंचित करने के उदेश्य से उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण करवाना चाहता है। ताकि अप्रार्थी संख्या 2 को न्याय से वंचित किया जा सके तथा प्रार्थीगण बतौर अतिक्रमी अपने अतिक्रमण को पुख्ता करते रहे। फोटो प्रति पटवारी रिपोर्ट दिनांक 11.03.2024 से साबित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण असत्य, विधि विरुद्ध एवं संधारण योग्य नहीं होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण गरीब व्यक्ति है अप्रार्थी संख्या 2 राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है व भु-माफिया है अधीनरथ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 के अनुचित दबाव व प्रभाव में है। इस कारण उक्त पत्रावली में पीठासीन अधिकारी द्वारा जबाब दावा हेतु छोटी-छोटी तारीख पेशी नियत की है व अप्रार्थी संख्या 2 ने सरेआम प्रार्थीगण को कहा कि वो आपका जबाब बन्द करवा के जल्द ही प्रकरण का फैसला अपने पक्ष में करवायेगा। जिससे स्पष्ट जाहिर है कि अप्रार्थी संख्या 1 सहायक कलक्टर रावतसर के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में आकर उक्त प्रकरण का फैसला प्रार्थीगण के खिलाफ करेगे। प्रार्थीगण इन परिस्थितियों में अधीनरथ न्यायालय के पीठासनी अधिकारी से निर्णय नहीं करवाना चाहते है। प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण में अधीनरथ न्यायालय के वर्तमान पीठासनी अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए विचारण न्यायालय ने लम्बित प्रार्थना पत्र किसी अन्यत्र न्यायालय में निस्तारण हेतु अन्तरित किये जाने के आदेश फरमावे जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 किसी प्रकार के राजनैतिक व्यक्ति नहीं है ना ही उनका अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी पर कोई प्रभाव है ना ही पीठासीन अधिकारी से अप्रार्थी संख्या 2 की कभी कोई



जिला कलक्टर  
हनुमानगढ़

वात हुई है। अप्रार्थी संख्या 2 निहायत गरीब एवं वरिष्ठ नागरिक है जिसको प्रार्थीगण द्वारा इस मामला को बार बार न्यायालयों में लेजाया जाकर हैरान व परेशान किया जा रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 को खर्चा से जेरकार किया जाकर इस मामले को प्रार्थीगण लम्बा करना चाहते हैं तथा अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी कृषि भूमि पर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर दौराने दावा व स्थगन निर्माण कार्य करने पर आमादा है। इसलिए वे महज प्रकरण को लम्बा करना चाहते हैं व सुनवाई नहीं होने देना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस न्याय दृष्टांत RRT 2023 (1) 479 का प्रस्तुत किया गया है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय पर जो आक्षेप अंकित किये हैं वे झूठे व निराधार हैं। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 पर जो आरोप लगाये गये हैं, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर की टिप्पणी के अनुसार सब असत्य एवं मिथ्या है। प्रार्थीगण ने प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। फिर भी प्रश्नगत प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इसमें कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली व न्याय दृष्टांत का सम्मान अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर के समक्ष लम्बित विविध प्रकरण नेमाराम बनाम रामू आदि प्रकरण संख्या 11/2024 को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के सम्बन्ध में है। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर की टिप्पणी के अवलोकन अनुसार उनके ऊपर प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप सब असत्य एवं मिथ्या हैं। उक्त पत्रावली विविध प्रकरण नेमाराम बनाम रामू आदि प्रकरण संख्या 11/2024 में प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित आ चुके हैं तथा दिनांक 26.04.2024 को जवाब हेतु समय दिया गया है। प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में आकर पत्रावली में छोटी-छोटी तारीख पेशी दे रहे हैं तथा प्रार्थीगण के कथन अनुसार पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के अनुचित दवाव व प्रभाव में हैं इसलिए पीठासीन अधिकारी द्वारा जवाब हेतु छोटी तारीख पेशी नियत की है तथा उक्त प्रकरण का निर्णय अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में करेगे। प्रार्थीगण इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से निर्णय नहीं करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण के उक्त कथन उचित प्रतीत नहीं होते हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में वर्तमान पीठासीन अधिकारी व अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध आक्षेप अंकित किये गये हैं वे निराधार व मनगढ़त हैं, प्रार्थीगण द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 2 वृद्ध गरीब व्यक्ति है प्रकरण अगर अन्य न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तो वहां आकर पैरवी करने में असुविधा होगी एवं अनावश्यक खर्च बढ़ेगा ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मनगढ़त साबित होते हैं तथा प्रार्थीगण द्वारा विविध प्रकरण संख्या 11/2024 को मुन्तकिल करवाने का उद्देश्य न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए समुचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश की प्रति सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

आदेश आज दिनांक 10.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



जिला कलक्टर  
हनुमानगढ़